| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>गुण्डा एक्ट मु.सं. 01/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.10.2023 | (see below) | शंकरलाल |

10.10.2023

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल शंकरलाल पुत्र गलाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– रेवदर, पुलिस थाना रेवदर उपस्थित। गैरसायल के अधिवक्ता श्री महेश रावल उपस्थित। गैरसायल के अधिवक्ता ने गैरसायल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तागसा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा आम लोगों जुआं खेलने के प्रेरित कर जुआं खेलाता है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत पुलिस थाना, रेवदर में कुल 3 प्रिकरण दर्ज हुये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलानें से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल के विरुद्ध लोगों सूचना देते से कतराते है। अतः गैरसायल को जिलें से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि गैरसायल से आम जन को किसी तरह का कोई खतरा नही है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज किये गये है। गैरसायल ने इन मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति के मुकदमें दर्ज नही है। गैरसायल 50 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है व वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल के छोटे छोटे बच्चे है। परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति गैरसायल है जो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है, इसलिये रहम नजर रखकर गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, रेवदर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 42 दिनांक 20.4.2015, अपराध संख्या 08 किदनांक 08.1.2022 व अपराध संख्या 152 दिनांक 04.11.2022 को दर्ज हुये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक क्रमशः 10.6.2015, 17.2.2022 व 11.11.2022 के द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। जिनमें से अपराध संख्या 08 दिनांक 08.1.2022 व अपराध संख्या 152 दिनांक 04.11.2022 की प्रथम सूचना [illegible] इन दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध [illegible] प्रस्तुत आरोप पत्रों व इन दोनों प्रकरणों में संबंधित [illegible] द्वारा पारित निर्णयों की ... लग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>गुण्डा एक्ट मु.सं. 01/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलबध है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी पाया गया है, परन्तु गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 11.11.2022 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलबध है।<br>पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने, आम जन की सम्पति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, गैरसायल को गुण्ड़ा घोषित किया जाना व निष्कासित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत हेाता है।<br>**आदेश**<br>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाता है एवं इस प्रकरण में गैरसायल की न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत बन्ध पत्र एवं जमानत पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 10 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।<br>(डॉ. भास्कर बिश्नोई)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:55 IST
Reason: SelfAttested